राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :एफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 /83742-775 दिनांक : 29/09/2022

उपनिदेशक (क्षेत्रीय),
अजमेर / बीकानेर / भरतपुर / जयपुर / जोधपुर / उदयपुर।

अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका,
गोविन्दगढ़, कोटकासिम, नीमराणा, टपुकड़ा, बड़ौदा मेव, बहादुरपुर (त. किशनगढ़बास) एवं बर्ड़ोद–{अलवर} / बोरावड़, जायल एवं बासनी (नागौर) / ऋषभदेव एवं सेमारी (त. खैरवाड़ा)–{उदयपुर} / धरियावद (प्रतापगढ़) / सिवाना (बाड़मेर) / खाजूवाला (बीकानेर) / मण्डावर (महवा–दौसा) / मारवाड़ जंक्शन (पाली) / टिब्बी (हनुमानगढ़) / दांतारामगढ़ एवं अजीतगढ़ (सीकर) / बौंली (सवाईमाधोपुर) / हम्मीरगढ़ (भीलवाड़ा) / रानीवाड़ा (जालौर) / बालेसरसत्ता (जोधपुर) / गुढ़ा (उदयपुरवाटी–झुंझुनू) / मनोहरपुर एवं नरैना (नरायणा) –जयपुर)।

विषयः–बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु सं. 6 के अनुसरण में राज्य की समस्त नगरीय निकायों में "इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban)" के कियान्वयन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है किः–

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट के बिन्दु सं. 6 पर शहरों में आमजन के लिये रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **"इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban)"** लागू करने की घोषणा की गई है।
2. इस योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जावेगा।
3. माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसरण में राज्य के शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने हेतु **इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban)** लागू की जा रही है।
4. योजना की विस्तृत **मार्गदर्शिका (Guide Lines)** संलग्न है।
5. योजना प्रारंभ करने से पूर्व आपके क्षेत्राधिकार की समस्त नगरीय निकायों में निम्नलिखित कार्यवाही की जाना सुनिश्चित कि जाऐंः–
   a. योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार अनुमत कार्यो का चिन्हीकरण / चयन। यह चिन्हीकरण मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में कार्य–योजना (Action Plan) व श्रम बजट (Labour Budget) बनाया जाएगा। निकायवार Budget Ceiling सभी निकायों को पृथक से भिजवाई गई है।
   b. उपर्युक्त कार्य–योजना (Action Plan) व श्रम बजट का जिला कलक्टर (जिला परियोजना समन्वयक) की अध्यक्षता में गठित समिति (योजना के बिन्दु सं. 9–C) से अनुमोदन करवाया जाए।
   c. योजना में पात्र परिवारों / श्रमिकों को सूचीबद्ध कर जॉब कार्ड जारी करना। जॉब कार्ड जारी करने हेतु IRGY-Urban MIS Portal उपलब्ध है। जॉब कार्ड जारी करने हेतु प्रपत्र–1 में आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर या ईमित्र सेन्टर के माध्यम से अथवा नगरीय निकाय के कार्यालय में आवेदन किए जाने पर प्रपत्र–2 में जॉब कार्ड जारी किया जाएगा।
   d. नगरीय निकाय कार्यालय या जोन कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ एक हेल्प–डेस्क स्थापित की जानी है।
   e. रोजगार चाहने वाले पात्र व्यवितयों की वार्डवार सूची बनाना।
   f. कार्यवार (Workwise) श्रमिकों के नियोजन की सूची बनाना।

g. अनुमोदित कार्ययोजना (Action Plan) में से किये जाने वाले कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा पत्रावली पर जिला कलक्टर (जिला परियोजना समन्वयक) से अनुमोदन उपरांत जारी की जानी है। कार्यों की तकनीकी स्वीकृति विभाग की Schedule of Power के अनुसार संबंधित अभियंता द्वारा की जानी है।

h. नगरीय निकाय में पृथक् से **"IRGY प्रकोष्ठ"** गठित करना।

i. आवश्यक सामग्री–मस्टररोल, माप–पुस्तिका, प्रपत्र–1, प्रपत्र–2, मॉनिटरिंग फार्मेट इत्यादि की व्यवस्था करना।

j. **प्रशिक्षण:**–राज्य स्तर से शीघ्र ही सभी हितधारकों को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। तत्पश्चात् जिला स्तर व निकाय स्तर के कार्मिकों को प्रशिक्षण जिला कलक्टर (जिला परियोजना समन्वयक) के निर्देशन में प्रदान करना।

k. विभिन्न संचार माध्यमों से योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करना।

l. जिला कलक्टर (जिला परियोजना समन्वयक) द्वारा योजना की मार्गदर्शिका के प्रपत्र सं. 4 में दर्शित विवरण अनुसार कार्मिकों का नियोजन किया जाना है। इन कार्मिकों के नियोजन पश्चात् निकाय स्तर पर कार्य आवंटन कर मॉनिटरिंग करना।

उपर्युक्तानुसार प्रारंभिक कार्यवाही 15 अक्टूबर, 2022 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जावे एवं नगरीय निकायों के स्तर पर योजना के संचालन व क्रियान्वयन हेतु कार्यालय भवन व संसाधनों की व्यवस्था भी कर ली जावे। योजना के संबंध में निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग में राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ का गठन किया है। इस प्रकोष्ठ के प्रभारी मुख्य अभियंता फोन नं. 0141–2222469, ईमेलः **irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in** द्वारा सूचित करायेंगे।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःएफ.56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 / 83776–866 दिनांकः 29/09/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक / निजी सचिव,, माननीय मंत्री / राज्यमंत्रीगण (समस्त), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव (समस्त), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त / आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर।
10. जिला कलक्टर (जिला परियोजना समन्वयक) समस्त, राजस्थान।
11. अध्यक्ष, नगर पालिका, समस्त संबंधित।
12. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
13. वित्तीय सलाहकार / परियोजना निदेशक, निदेशालय।
14. संयुक्त निदेशक (जन संपर्क), निदेशालय को प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशन करवाने हेतु पालनार्थ।
15. श्री अशोक मीणा, एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव